

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2021 माघ 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या 401/छ:-पु0-9—21-20(10) (1)-84 लखनऊ, 11 फरवरी, 2021

अधिसूचना
(शक्ति)

प0आ0-48

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय, उ०प्र० में तैनात निम्नलिखित पद धारकों को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 03 वर्ष की अविध के लिए कार्यपालक मिजस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मिजस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उन्हें ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक को प्रदत्त की जा सकती है, जिनका प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर किया जायेगा :—

- 1-निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ०प्र०।
- 2-अपर निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ०प्र०।
- 3–अपर निदेशक (विधि), राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ०प्र०।
- 4-समस्त उप निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ०प्र०।

आज्ञा से, भगवान स्वरूप, सचिव। IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 401/VI-P-9–21-20(10)(1)-84 dated February 11, 2021:

No. 401/VI-P-9–21-20(10)(1)-84 *Dated Lucknow, February* 11, 2021

In exercise of the power under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) the Governor is pleased to appoint for a period of three years, with effect from the date of the publication of this notification in the *Gazette*, the following incombents posted in the Directorate of Revenue and Special Intelligence, Uttar Pradesh, as Executive Magistrates to be known as Special Executive Magistrates and to confer on them all the powers of the executive Magistrates as are conferrable under the said code of Executive Magistrates, to be exercised within the limits of the Uttar Pradesh:—

- 1. Director, Revenue and special Intelligence, Uttar Pradesh.
- 2. Adl. Director, Revenue and Special Intelligence, Uttar Pradesh.
- 3. Adl. Director (Law), Revenue and Special Intelligence, Uttar Pradesh.
- 4. All Deputy Directors, Revenue and special Intelligence, Uttar Pradesh.

By order,
BHAGWAN SWARUP,
Sachiv.